क्रम-संख्या–43 (च)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 348 / 79-वि-1–21-1-क-3-21

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे आयुष अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 9 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020 का सामान्य संशोधन

2—राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 में संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम, शीर्षकों सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द ''महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में भारतीय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुर्विज्ञान प्रणाली में अध्यापन तथा अनुसंधान हेतु एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020) अधिनियमित किया गया था।

2—गोरखपुर, भारत में 'नाथ' धार्मिक अभिधान तथा मठीय आन्दोलन की शैव उप—परम्परा के सम्प्रवर्तक महायोगी बाबा गोरखनाथ की तपस्थली है। आयुर्वेदिक अध्ययन विषयों यथा 'रसशास्त्र' तथा 'भैषज्य कल्पना' पर रचित और 'नाथ' साहित्य योग तथा शैलतल से सम्बन्धित पुस्तकों में प्रकाशित उनकी कृतियाँ, आयुर्वेद ज्ञानार्जनों की प्रमुख अंग हैं। समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले गोरखपुर जैसे पवित्र स्थल पर आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होना गौरव की बात है।

3—पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश करने का विनिश्चय किया गया था।

4—चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2021 को राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

5—यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 348(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-3-21
Dated Lucknow, March 5, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Ayush Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 01, 2021. The Ayush Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam:

THE STATE AYUSH UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) ACT, 2021
(U.P. Act no. 6 of 2021)
[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]
AN
ACT

further to amend the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 9, 2021.

General Amendment of U.P. Act no. 6 of 2020

2. In the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020 *for* the words 'Uttar Pradesh State Ayush University' wherever occuring including the short title, long title, headings, the words "Maha Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur" shall be *substituted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 1 of 2021

3. (1) The State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Ayush University Act, 2020 (U.P. Act no. 6 of 2020) was enacted to provide for the establishment of an Ayush University at Gorakhpur in Uttar Pradesh for teaching and research in Indian Medicine Systems of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy.

2. Gorakhpur is the taposthali of Maha Yogi Baba Gorakhnath who is considered to be the founder of the Shaiva sub-tradition of 'Nath' religious denomination and monastic movement in India. His works authored on subjects of Ayurveda studies such as Rasashastra and Bhaishajya Kalpana which are published in books pertaining to 'Nath' literature, Yoga and Shailtal, form a part of Ayurveda's salient learnings. It is a matter of pride that the Ayush University is established in a holy place like Gorakhpur which has such a rich historic and cultural background.

3. In view of the aforesaid, it had been decided to change the name of the said University as Maha Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur, Uttar Pradesh.

4. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 1 of 2021) was promulgated by the Governor on January 9, 2021.

5. This Bill is introduce to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 780 राजपत्र–2021–(1656)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 261 सा0 विधायी–2021–(1657)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
780_RPH_2021_(Ayush University)-2021 Data-4E